"प्रभासिम शशि सूर्ययोः"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
सीआईएनःयू40109आरजे2000एसजीसी016486
पंजी.कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष/फैक्स : 0141–2747019 य वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेल : Jaipurdiscom@jvvnl.org / ddpestt@jvvnl.org

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकःजेपीडी./प्रशा./एचआर/संस्था/पत्रा.1(134)/प्रे. 750 दिनांक : 23.04.2021

आदेश

राज्य में कोविड–19 संक्रमण फैलाव के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने दिनांक 14 अप्रेल,2021 व 18 अप्रेल,2021 को विस्तृत गाईड़लाइंस जारी की है। इसके अतिरिक्त निगम कर्मियों के लिए आदेश दिनांक 16.04.2021 द्वारा आवश्यक दिशानिर्देश जारी किये गये थे।

प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञान में आया है कि विगत दिनों में निगम के अधिकारी/ कर्मचारीगण भी कोविड–19 संक्रमित हुये हैं। अतः एतद्द्वारा निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. सभी विभागाध्यक्ष एवम् कार्यालयाध्यक्ष कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार (Covid Appropriate Behaviour) यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।
2. मुख्य अभियन्ता–पदार्थ प्रबन्ध निगम के समस्त कार्यालयों में सेनेटाइजर एवम् मास्क की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रत्येक वृत्त में Anti Covid Team (ACT) का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाये, जिसमें निम्न सदस्य होंगे –
   1 प्रावैधिक सहायक–अधीक्षण अभियन्ता
   2 वृत्त कार्मिक अधिकारी
   3 वृत्त लेखाधिकारी
   Anti Covid Team (ACT) वृत्त में कार्यरत विद्युत कर्मियों में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर नजर रखेगी। किसी भी कार्मिक को अस्पताल, दवाइयों एवं अन्य किसी प्रकार की आपात कालीन आवश्यता होने पर तुरन्त चिकित्सालय प्रबन्धन/चिकित्सा विभाग/जिला प्रशासन से समन्वय कर यथासम्भव सहायता करेंगे।
4. संभाग स्तर पर गठित होने वाली Anti Covid Team (ACT) में निम्न सदस्य होंगे –
   1 संयुक्त/उप निदेशक कार्मिक
   2 वरिष्ठ लेखाधिकारी
   3 प्रावैधिक सहायक–मुख्य अभियन्ता
   संभाग स्तरीय Anti Covid Team (ACT) मुख्य अभियन्ता कार्यालय परिसर में स्थित विभिन्न कार्यालयों के कार्मिकों के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार समन्वय कर कार्मिकों की यथासम्भव सहायता करेगी। इसके अतिरिक्त वृत्त स्तर पर Anti Covid Team (ACT) को सक्रिय कर आवश्यकता होने पर विद्युत कर्मियों को तुरन्त प्रभाव सहायता पहूंचायेंगे। संभागीय मुख्य अभियन्ता कोविड संक्रमण सम्बन्धी समस्त गतिविधियों की निगरानी करेंगे।

"प्रभास्मि शशि सूर्ययोः"

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

सीआईएनःयू40109आरजे2000एसजीसी016486
पंजी.कार्यालयः विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर–302005
दूरभाष / फैक्स : 0141–2747019 य वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/jvvnl
ई–मेल : Jaipurdiscom@jvvnl.org / ddpestt@jvvnl.org

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

वृत्त कार्मिक अधिकारी प्रतिदिन 11 बजे विगत् दिन के निगम कार्मिकों के संक्रमण सम्बन्धी सूचना संभाग स्तर पर संयुक्त / उप निदेशक कार्मिक एवम् मुख्यालय पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

समस्त मुख्य / अधीक्षण अभियन्ता Anti Covid Team (ACT) को तुरन्त प्रभाव से गठित कर आज दिनांक 23.04.2021 से सक्रिय कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,

23/4/21
(कैलाश चन्द्र यादव)
सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. समस्त मुख्य / संभागीय / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर डि़स्कॉम,
2. मुख्य लेखा नियन्त्रक / मुख्य कार्मिक अधिकारी / अति.पुलिस अधीक्षक(सतर्कता), जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / मुख्य लेखाधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम,
4. संयुक्त निदेशक कार्मिक (ज.सं.) / उप निदेशक कार्मिक (जांच /), जयपुर डि़स्कॉम,
5. समस्त अधिशाषी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, जयपुर डि़स्कॉम,
6. समस्त कार्मिक अधिकारी / लेखाधिकारी, जयपुर डि़स्कॉम,
7. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक / निदेशक(वित्त / तक.) / सचिव (प्रशासन), जयपुर डि़स्कॉम, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

23/4/2021
(हरिभूषण भाटिया)
संयुक्त निर्देशक कार्मिक (एचआर)